सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 85/2017

1. कंचन शर्मा पत्नी स्व. श्री हरीश शर्मा आयु 40 वर्ष निवासी 1/285 हाउसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर ,शहर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
3. श्रीमति सुमन गोदारा, महिला पर्यवेक्षक जवाहरनगर, श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. अमीत स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थिया

आदेश

दिनांक : 13–12–2017

अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण आंगनबाडी केन्द्र 24 बी श्रीगंगानगर में पिछले 15 वर्षो से कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी तथा अपना कार्य कर्तव्य–निष्ठा पूर्वक करती आ रही है। परियोजना के अधीन संचालित सैक्टर गंगानगर में आ0 बा0 केन्द्र 24 बी का महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 23.03.2017, 17.04.2017, 20.05.2017 27.06.2017 को निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर गम्भीर अनियमितायें पायी गई। इस कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा तथाकथित प्रथम नोटिस 60/23.03.2017, द्वितीय नोटिस 62/07.04.2017, तृतीय नोटिस 70/30.05.2017 तथा अन्तिम नोटिस 73/27.06.2017 जारी किया गया जबकि प्रार्थीयान को एक भी नोटिस नहीं दिया गया। कथित नोटिस में अंकित करना बताया कि कार्यकर्ता श्रीमती कंचन शर्मा के द्वारा कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। बार–बार निरीक्षण के पश्चात भी केन्द्र पर गम्भीर अनियमितायें पायी गई । कार्यालय से प्रस्ताव कमांक 1081/06.09.2017 तैयार कर हटाने की अनुशंषा कर श्रीमान उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर को भिजवाया गया। इसी कम में उपनिदेशक महोदय के द्वारा उपरोक्त कार्यकर्ता को तथाकथित अन्तिम सुनवाई अवसर कमांक 7222/ 03.10.2017 के द्वारा दिया गया । इसके पश्चात दिनांक 16.10.2017 को उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा 24 बी का आकस्मिक निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा करवाया गया, परन्तु स्थिति यथावत मिली इसी कारण पत्रांक 7586 दिनांक 08.11.2017 की पालना में अपीलार्थिया को तुरन्त प्रभाव से मानदेय से अलग किया जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 16.10.2017 को केन्द्र की स्थिति संतोषजनक थी, निरीक्षणकर्ता सुमन वर्मा ने कतिपय हिदायतें अपीलार्थिया को दी, परन्तु ऐसी कोई हिदायत नहीं है जिससें प्रार्थीया को सेवा से हटाया जावें। अपीलार्थिया इस आंगनबाडी केन्द्र में सहायिका का पद खाली होने के कारण संचालन अकेली स्वयं करती आ रही है। सहायिका के कार्य जैसे बच्चो को लाना व उनको छोड कर आना का कार्य अपीलार्थिया द्वारा निष्ठापूर्वक, समय पर किया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जाता रहा है जिसका वार्ड पार्षद व सुपरवाईजर, पूर्व उपनिदेशक द्वारा इस कार्य की सराहना/प्रशंसा की गई है। अपीलार्थिया एक विधवा औरत है धर में कमाने वाला कोई नही है इस इस प्रकार से एकाएक हटाये जाने से परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और भुखमरी पैदा हो गई है। लिहाजा आदेश श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर शहर पत्र कमांकः– CDPO URBAN/स्था/ 2016–17 /1226 दिनांक 14.11.2017, पत्रांक 7586 दिनांक 08.11.2017 को अपास्थ कर अपीलार्थियां को बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जाकर प्रार्थीयान को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण आंगनबाडी केन्द्र 24 बी श्रीगंगानगर में पिछले 15 वर्षो से कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी तथा अपना कार्य कर्तव्य–निष्ठा पूर्वक करती आ रही है। परियोजना के अधीन संचालित सैक्टर गंगानगर में आ0 बा0 केन्द्र 24 बी का महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 23.03.2017, 17.04.2017, 20.05.2017 27.06.2017 को निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर गम्भीर अनियमितायें पायी गई। इस कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा तथाकथित प्रथम नोटिस 60/23.03.2017, द्वितीय नोटिस 62/07.04.2017, तृतीय नोटिस 70/30.05.2017 तथा अन्तिम नोटिस 73/27.06.2017 जारी किया गया जबकि अपीलार्थिया को एक भी नोटिस नहीं दिया गया। कथित नोटिस में अंकित करना बताया कि कार्यकर्ता श्रीमती कंचन शर्मा के द्वारा कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। बार–बार निरीक्षण के पश्चात भी केन्द्र पर गम्भीर अनियमितायें पायी गई । कार्यालय से प्रस्ताव कमांक 1081/06.09.2017 तैयार कर हटाने की अनुशंषा कर श्रीमान उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर को भिजवाया गया। इसी कम में उपनिदेशक महोदय के द्वारा उपरोक्त कार्यकर्ता को तथाकथित अन्तिम सुनवाई अवसर कमांक 7222/ 03.10.2017 के द्वारा दिया गया । इसके पश्चात दिनांक 16.10.2017 को उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा 24 बी का आकस्मिक निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा करवाया गया, परन्तु स्थिति यथावत मिली इसी कारण पत्रांक 7586 दिनांक 08.11.2017 की पालना में अपीलार्थिया को तुरन्त प्रभाव से मानदेय से अलग किया जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 16.10.2017 को केन्द्र की स्थिति संतोषजनक थी। अपीलार्थिया इस आंगनबाडी केन्द्र में सहायिका का पद खाली होने के कारण संचालन अकेली स्वयं करती आ रही है। सहायिका के कार्य जैसे बच्चो को लाना व उनको छोड कर आना का कार्य अपीलार्थिया द्वारा निष्ठापूर्वक, समय पर किया जाता रहा है जिसका वार्ड पार्षद व सुपरवाईजर, पूर्व उपनिदेशक द्वारा इस कार्य की सराहना/प्रशंसा की गई है। अपीलार्थिया एक विधवा औरत है धर में कमाने वाला कोई नही है इस इस प्रकार से एकाएक हटाये जाने से परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और भुखमरी पैदा हो गई है। लिहाजा आदेश श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर शहर पत्र कमांकः– CDPO URBAN/स्था/ 2016–17 /1226 दिनांक 14.11.2017, पत्रांक 7586 दिनांक 08.11.2017 को अपास्थ कर अपीलार्थियां को बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जाकर प्रार्थीयान को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर ने अपनी जबाब एवं बहस में कहा है कि अपीलार्थिया को विधिवत नोटिस जारी कर एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मानदेय से प्रथक किया गया है क्योंकि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया को सैक्टर गंगानगर में आ0बा0केन्द्र 24 बी का महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 23.03.2017, 17.04.2017, 20.05.2017 27.06.2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र बंद पाया गया, इसी कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रथम नोटिस 60/23.03.2017, द्वितीय नोटिस 62/07.04.2017, तृतीय नोटिस 70/30.05.2017 तथा अन्तिम नोटिस 73/27.06.2017 जारी किया गया परन्तु कार्यकर्ता श्रीमती कंचन शर्मा के द्वारा कार्य प्रणाली में कोई सुधार नही किया गया। इससे पूर्व महिला पर्यवेक्षक के द्वारा इस केन्द्र का बार–बार निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितता पाई गई है। बार बार अवसर प्रदान करने के पश्चात भी कार्यकर्ता के द्वारा कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया गया और विभागीय दिशानिर्देशों कि अवहेलना कि गई। इस कारण प्रस्ताव संख्या 1081/06.09.2017 तैयार कर अनुशंषा हेतु श्रीमान उपनिदेशक श्रीगंगानगर के समक्ष भिजवाया गया । तदउपरान्त उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थियां को सुनवाई हेतु नोटिस कमांक 7222 दिनांक 03.10.2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना हेतु लिख गया। परन्तु अपीलार्थिया का जवाब सन्तोषजनक नहीं होने के कारण श्रीमान उपनिदेशक श्रीगंगानगर के द्वारा इस केन्द्र का पुनः आकस्मिक निरीक्षण करवाया गया परन्तु स्थिति यथावत मिली, इसी कारण श्रीमान उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर के द्वारा पत्रांक 7586/08.11.2017 के द्वारा अपीलार्थिया कंचन शर्मा को मानदेय से अलग करने की अभीशंषा कर दी। अतः अपील खारिज की जाकर कार्यालय द्वारा जारी आदेश को बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1310 दिनांक 07.12.2017 में अंकित किया है कि '' महिला पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र का समय समय पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने के कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा नोटिस कमांक :–60/23.03.2017, द्वितीय नोटिस 62/07.04.2017, तृतीय नोटिस 70/30.05.2017 तथा अन्तिम नोटिस 73/27.06.2017 को जारी किये गये, जिस पर उपनिदेशक के द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपने आदेश कमांक 7586 दिनांक 08.11.2017 अपीलार्थिया को हटाने की अभिशंषा जारी की गई।

विभागीय परिपत्र कमांक 150819 दिनांक 9.11.2016 अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आंगनबाडी केन्द्र बंद पाये जाने व गम्भीर अनियमितता पर संक्षिप्त जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में संबधित मानदेय कर्मी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संक्षिप्त जांच उपरान्त , बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाऐ द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा। किसी मानदेयकर्मी के बिना किसी सूचना/अनुमति के अनुपस्थित रहने पर 1–1 माह के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जायेंगे। दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अपीलार्थिया कंचन शर्मा को नोटिस जारी किये गये परन्तु उनकी विधिवत तामिल नोटिस दिनांक 23.03.2017, 17.04.

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2017, 20.05.2017 27.06.2017 जो कि श्रीमती कंचन शर्मा (कार्यकर्ता) को प्राप्त होने पाये गये जिसमें अंकित है कि नोटिस कमांक 60/23.02.2017 को आपके केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें बच्चो की उपस्थिति केवल 06 पाई गई , जो पंजीकृत बच्चो की तुलना में काफी कम है, नोटिस कमांक 62/07.04.2017 को आपके केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण 8.06 ए.एम. पर किया गया जिसमें आपका केन्द्र बन्द पाया गया, नोटिस कमांक 70/30.05.2017 को आपके केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण 6.58 पर जिसमें आपका केन्द्र बन्द पाया गया, नोटिस कमांक 73/27.06.2017 को आपके केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण 6.52 ए.एम. पर किया गया जिसमें आपका केन्द्र बन्द पाया गया,, । विभागीय निर्देशानुसार उन्हें 1 –1 माह के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जाने थे । दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए **" सक्षिप्त जांच"** बाद विधिवत सुनवाई का अवसर देकर समुचित एंव निर्धारित कार्यवाही की जाकर पृथककरण के लिए अनुशंषा की है, वह विभागीय परिपत्र कमांक 150819 दिनांक 9.11.2016 के अनुरूप है। फिर भी न्याय की भावना से अपीलार्थिया को एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 सीडीपीओ श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश कमांक 1226 दिनांक 14.11.2017 निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर का आदेश कमांक 7586 दिनांक 08.11.2017 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाते है। अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनकी सेवा पर तुरन्त प्रभाव से यथावत रखने के आदेश जारी करें साथ ही श्रीमती कंचन शर्मा कार्यकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा आगे से किसी प्रकार की अनियमितता की जाती है या अपने पदीय कर्तव्यों का लोप किया जाना पाया जाता है तो उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर आपको मानदेय से पृथक करने हेतु स्वतन्त्र रहेगी। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 13.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।